

प्रेषक,

मधु जोशी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
इलाहाबाद।

उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या 264 / रा०उ०शि०प० / 20
दिनांक 29-2-2016

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 24 फरवरी, 2016

विषय: डा० दयाशंकर सिंह यादव, सहायक प्रोफेसर, समाज शास्त्र, केन सोसायटी नेहरू महाविद्यालय, हरदोई से श्री अग्रसेन कन्या पी०जी० कालेज, वाराणसी से किये गये एकल स्थानान्तरण को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-सं०नि०(उ०शि)/100/2015-16, दिनांक 18-11-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डा० दयाशंकर सिंह यादव, सहायक प्रोफेसर, समाज शास्त्र, केन सोसायटी नेहरू महाविद्यालय, हरदोई का श्री अग्रसेन कन्या पी०जी० कालेज, वाराणसी में किया गया एकल स्थानान्तरण मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-36712/2015 में पारित होने वाले निर्णय के अधीन एतद्वारा निरस्त किया जाता है। तदनुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मधु जोशी)
विशेष सचिव।

संख्या-1483 (1) / सत्तर-3-2015-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- कुलसचिव, सम्बन्धित राज्य विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
- 2- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ०प्र०।
- 3- सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
- 4- सचिव, उ०प्र० उच्चतर शिक्षा आयोग, 18 ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
- 5- अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- 6- वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 7- विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,

(अखिलेश अग्निहोत्री)
संयुक्त सचिव।

लखनऊ
R-1
29/02/16